

कार्यालय	मुख्य	अग्निशमन	अधिकारी	नैनीताल	(हल्द्वानी)
----------	-------	----------	---------	---------	-------------

fbn-efont.eksfay@gmail.com

पत्रांक—सी0एफ0ओ0—न—6(इ0) / 2022  
सेपा में

दिनांक—जुलाई २७, 2022

OWNER/MANAGER,  
DON BOSCO GIRLS COLLEGE,  
AAM PARAO, POST-CHOPRA,  
DISTT-NAINTITAL, UTTARAKHAND.

विषय— अग्निशमन सुखा सम्बन्धी अनापति प्रमाण—पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक द्वारा किए गये आवेदन पत्र सं0—28375849 दिनांक—23.07.2022 के परिणाम्य में इस कार्यालय के निर्गत आवेदन दिनांक—24.07.2022 के अनुपालन में प्रमाणी अग्निशमन अधिकारी मल्लीताल द्वारा DON BOSCO GIRLS COLLEGE, AAM PARAO, POST-CHOPRA, का प्राथमिक अग्निसुखा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया उक्त के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुखा व्यवस्था पाई गई।

1. परिसर में रिजर्व वाटर टैंक 70 हजार ली0 लमता का प्राविद्यान किया गया है।
2. परिसर में 04 अदद एवीसी टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 04 किमा0 लमता, 02 अदद CO<sub>2</sub> टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 किमा इमता एवं 02 अदद होजरील मय फिल्टर्स का प्राविद्यान किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्निसुखा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि—

1. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दश में तदनुसार NBC-2016 के Part-04 में निहित मानकों के अनुसार अतिरिक्त अग्निसुखा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
2. संस्थान/परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा रण्डप्रति अग्निसुखा व्यवस्था की कार्यकालता व स्वच-रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाय रखें।
3. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, एवं सीढ़िया प्रत्येक दण्ड में अवशेष मुक्त रखी जायें।
4. आपके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
5. विद्युत विवेच बोर्ड/विद्युत ऐनल के आम-पास तथा निकाल मार्ग, भवन सेट वैक लेव में किसी ज्वलनशील समादी का भण्डारण नहीं किया जायेगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रवर्षन की लापरवाही मानी जायेगी तथा भविष्य में अग्निदूर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी।
6. प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर (नियमानुसार (10 रु0 प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टैटिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क (फायर सर्विस हेड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवाएं, 109 अग्नि, से संरक्षण एवं नियन्त्रण कराया जायेगा) अग्निशमन अनापति प्रमाण—पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण—पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापति प्रमाण—पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। साथ ही प्रत्येक छ. मह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुखा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण—पत्र/SELF AUDIT REPORT प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।
7. निर्गत अग्निसुखा प्रमाण—पत्र का उपेंग किसी अवैध निर्माण/कब्जे को नियमित करने के लिए मात्र नहीं होगा। अत इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुखाव तथा शर्तों का पालन किए जाने एवं प्रमाणी अग्निशमन अधिकारी मल्लीताल द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्या पत्रांक न—1-होट0/एफ.एस. नैनीताल/21 के आधार पर DON BOSCO GIRLS COLLEGE, AAM PARAO, POST-CHOPRA, को दिनांक—29 जुलाई 2022 से 28 जुलाई 2025 तक अधिभोग (Occupancy)/अव्यासन किए जाने हेतु अग्निसुखा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को काई आपति नहीं है।

अनापति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

*h/w*  
मुख्य और अधिकारी  
नैनीताल (हल्द्वानी)